MALKA RENEWABLE ENERGY PRIVATE LIMITED

Corp.Office :7th Floor, Minerva Complex, SD Road, SECUNDERABAD – 500 003,
Phone :09866030920, 09301325333
E-mail : naveenmalka@gmail.com, powermalka@gmail.com

Date: - 29.03.2022

To,
The DFO
Dharamjaigarh Forest Division.
Dharamjaigarh (C.G.)

Sub:- Diversion of forest land for non-forest purpose under forest conservation act-1980 proposed for small hydel electric project area 6.690 hect. regarding.

Ref.:- MoEF letter ref. no. FC-IICH-115/2019-NGP/5895 dtd.15.11.2019
Dear Sir,

With reference to the above, we are submitting herewith pointwise compliances against the stage-1 permission given by MoEF vide letter ref no. FC-IICH-115/2019-NGP/5895 dtd.15.11.2019.

S.No.	MoEF point	Our reply
1. a.	Compensatory afforestation shall be taken up by the forest deptt. over 7.47 hect. non forest land Kh.no. 145/1 under the regakhar range & Kh. No. 54/3 unde Salhewaha range at the cost of the user agency. As far as possible, a mixure of local indigenous species shall be planted and monoculture of any spices may be avoided.	Afforestation cost of rs.59,67,760.59/- deposited by us in to CAPMA account (Challan copy enclosed)
b.	The non-forest land proposed for CA shall transferred and mutated in the name of forest deptt. And notified as RF/PF prior to stage 2 approval. A copy of the original notification declaring the non-forest and under sec-4 or 29 of the Indian forest act.1927 or under the relevant sec- of the state forest act as the case may be, will be submitted by the state Govt. prior to stage II approval.	CA land has been transferred & mutated to forest deptt. by us through revenue order dtd. 08.09.20 Further notification shall be done forest deptt.
ii.	The cost of compensatory afforestation at the prevailing wage rates as per compensatory afforestation scheme and the cost of survey demarcation and erection of permanent pillars if required on the CA land shall be deposited in advance with the forest deptt. by the project authority the CA will be maintained for 10 years the scheme may be included appropriate provision for anticipated cost increase for works scheduled for subsequent years.	Condition Accepted

उपवनमण्डलाधिकारी धरमजयगढ़ क्रमांक ... दिनांक 29/3/22 धरमजयगढ़ जिला-रायगढ़

iii a.	The state govt. shall charge the NPV for the 6.69 hect. Forest area to be diverted under this proposal from the user agency as per the orders of the Hon'ble supreme court of India orders in this regards.	NPV amount of Rs.22,70,970 /- Paid by us copy of Challan enclosed.
b.	Additional amount of the NPV of the diverted forest land if any becoming due after finalization of the same by the Hon'ble supreme court of India on receipt of the report from the expert committee shall be charged by the state govt. from the user agency. The user agency shall furnish an under takin to this effect.	Condition Accepted.
iv.	The cost of failing of trees shall be deposited by the user agency with the state forest deptt.	Condition Accepted.
v.	Copy of the approval catchment area treatment plan if applicable shall be submitted in accordance to FCA 1980	Catchment area not applicable to us as our proposed project is run of the river basis.
vi.	The complete compliance of the FRA 2006 shall be insured by the way of prescribed certificate from the concerned district collector.	FRA certificate already taken from district collector. Copy of available in the proposal file.
vii.	All the funds received from the user agency under the project shall be transferred /deposited to CAMPA fund only through e portal.	NPV and Compensatory afforestation payment of rs. 82,38,731/- made by us in CAMPA account.
viii.	The compliance report shall be uploaded through e-portal	Condition Accepted.

In view of the above, we are request you to may kindly do the needful for final approval for the project so that project work can be started in schedule time frame.

Thanking you,

For, MALKA RENEWABLE ENERGY PVT LTD.

Rohit

ROHIT SHRIVASTAVA
GM-LIAISON

CC:-

- **CCF, Bilaspur Chhattisgarh.**

Annex (1)

AGENCY COPY

यूनियन बैंक Union Bank of India

NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 25-03-2022

Agency Name.	MALKA RENEWABLE ENERGY PRIVATE LIMITED
Application No.	5625660705
MoEF/SG File No.	FC-II-CH-115/2019-NGP
Location.	CHATTISGARH
Address.	7TH FLOOR, MINERVA COMPLEX,S.D. ROAD SECUNDERABADHyderabad
Amount(In Rs)	8238731/-

Amount In Words :Eighty-Two Lakh Thirty-Eight Thousand Seven Hundred and Thirty-One Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	CHATTISGARH CAMPA
IFSC Code:	UBIN0903710
Pay to Account No.	150645625660705 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India Lodhi Complex Branch, Block 11,CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

BANK COPY

यूनियन बैंक Union Bank of India

NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 25-03-2022

Agency Name.	MALKA RENEWABLE ENERGY PRIVATE LIMITED
Application No.	5625660705
MoEF/SG File No.	FC-II-CH-115/2019-NGP
Location.	CHATTISGARH
Address:	7TH FLOOR, MINERVA COMPLEX,S.D. ROAD SECUNDERABAD Hyderabad
Amount(In Rs)	8238731/-

Amount In Words :Eighty-Two Lakh Thirty-Eight Thousand Seven Hundred and Thirty-One Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	CHATTISGARH CAMPA
IFSC Code:	UBIN0903710
Pay to Account No.	150645625660705 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India Lodhi Complex Branch, Block 11,CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

After making successful payment, User Agencies may send a line of confirmation through Email: helpdeskcampa@corpbank.co.in

Note:After making the required payment through challan, if the payment status has not been updated even after 7 working days, then kindly mail a copy of your challan with transaction date to Email: cb0371@unionbankofindia.com

AXIS BANK
RAVI NAGAR ... NAGPUR
25 MAR 2022
TRANSFER

AXIS BANK LIMITED, RAVI NAGAR MH

Tran ID : S28310117/ 1 TRANSFER DEBIT Date : 28-03-2022
Tran Date : 25-03-2022
DEBIT : 922020005323583 MALKA RENEWABLE ENERGY PRIVATE LIMITED
Master/Multi A/c:
Amount : 82,38,731.00 INR
Amount In Words : INR Eighty Two Lakh Thirty Eight Thousand Seven Hundred Thirty One Only.
On account of : RTGS/SK/UTIBR52022032500371838/3653/CHATTIS/UNION

CDCI	CDCI	CDCI
Entered By	Posted By	Verified By

CHQ 29536 25-03-2022

Annex-2

वर्ष: 2019-2020

फॉर्म बी-I किश्तबंदी खतौनी (आसामीवार)

भूमि का ब्योरा हेक्टयर मे एवं करो का ब्योरा रुपये पैसो मे

20210101570501295

ग्राम : गोधनखार हल्का : 00008 रा नि : रेंगाखारकला तहसील : रेंगाखारकला जिला : कबीरधाम

खाते के ब्यौरे					चालू और बकाया मॉंग				वसूलियाँ				खजाने मे जमा करने के ब्यौरे			वर्ष की समाप्ति पर बाक़ी			वर्ष की समाप्ति पर बाकी वसूलियाँ			
खाता क्रमांक	भू-स्वामी या शासकीय पट्टेदार का नाम	खाते मे शामिल प्रत्येक भू-मापन क्र. का क्र.	प्रत्येक भू-मापन क्र.का क्षेत्रफल और खाते का कुल क्षेत्रफल	किश्तों के ब्यौरे	भू-राजस्व	उपकर	योग	भुगतान करने वाले व्यक्ति का नाम	भुगतान की तारीख	भू-राजस्व	उपकर अबवाब	योग	रकम जमा करने वाले का नाम	जमा करने की तारीख	चालान क्रमांक	भू-राजस्व	उपकर	योग	भू-राजस्व	उपकर	योग	जारी की बलात ३ के ॥
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
73	(1)नाम - परिक्षेत्र अधिकारी रेंगाखार वन विभाग छ. ग. शासन (संतोष कुमार ठाकुर) पिता जगदीश ठाकुर वर्ग- सामान्य (जाति) पता- सा. बालोद स्वामित्व -भूमिस्वामी - कृषि भूमि	145/1	1.8110		1.25																	ऋण पुस्तिका:‹ नामांतरण 570504.! 920/062' आदेश क्र. क्र.2 / 8/31/2C

Signature Not Verified
Digitally signed by DURPAT DHURWE
Date: 2021.01.01 20:24:44 IST
Reason: Certified to be TRUE COPY of the digitally published ROR

टीप:– बैंक से लिये गये टर्म ऋण का विवरण 'फॉर्म पी-II खसरा खण्ड-1' में तथा फसल ऋण का विवरण 'फॉर्म पी-II खसरा खण्ड-2' में अंकित है |

2

कृषि वर्ष: 2020-21

फॉर्म पी-II खसरा पांचसाला खण्ड-1 (भूमिस्वामी का विवरण)

ग्राम : गोधनखार हल्का : 00008 रा नि : रेंगाखारकला तहसील : रेंगाखारकला जिला : कबीरधाम 2021010157050125

भूमि का ब्यौरा हेक्टेयर में एवं करो का ब्यौरा रुपये पैसो में है।

क्रमांक	क्षेत्रफल (और यदि भूमि खाते में सम्मिलित न हो तो उसका वर्णन)	कब्जेदार का विवरण				प्रयोजन जिसके, लिए भू-राजस्व निर्धारण किया गया है तथा नियत भूराजस्व	अधिकार जिसके अंतर्गत भूमि धारण की गई हो	किसी भूमि स्वामी या पट्टेदार या किसी मौरूषी कास्तकार के उपपट्टेदार का नाम, पिता का नाम,लगान या पट्टे की रकम और उप-पट्टे पर दिया गया भाग का क्षेत्रफल	कैफियत
		नाम	पिता या पति का नाम	जाति	निवास स्थान				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
145/1	1.8110	परिक्षेत्र अधिकारी रेंगाखार वन विभाग छ. ग. शासन (संतोष कुमार ठाकुर)	पिता जगदीश ठाकुर		सा. बालोद	कृषि ₹ 1.25	निजी भूमिस्वामी		ऋण पुस्तिका:2641755

टीप:-- फसल विवरण तथा फसल ऋण की जानकारी 'फॉर्म पी-II खसरा खण्ड-2' से प्राप्त होगा।

Signature Not Verified
Digitally signed by DURPAT DHURWE
Date: 2021.01.01 20:24:49 IST
Reason: Certified to be TRUE COPY of the digitally published ROR

वर्ष: 2020-2021

फॉर्म बी-I किश्तबंदी खतौनी (आसामीवार)

भूमि का ब्योरा हेक्टयर मे एवं करो का ब्योरा रुपये पैसो मे

20210530420200015

ग्राम : ग्वालगुण्डी   हल्का : 00007   रा नि : गंडई   तहसील : छुईखदान   जिला : राजनांदगांव

	खाते के ब्यौरे				चालू और बकाया माँग				वसूलियाँ				खजाने मे जमा करने के ब्यौरे			वर्ष की समाप्ति पर बाक़ी			वर्ष की समाप्ति पर बाकी वसूलियाँ			
खाता क्रमांक	भू-स्वामी या शासकीय पट्टेदार का नाम	खातो मे शामिल प्रत्येक भू-मापन क्र. का क्र.	प्रत्येक भू-मापन क्र.का क्षेत्रफल और खाते का कुल क्षेत्रफल	किश्तों के ब्यौरे	भू-राजस्व	उपकर	योग	भुगतान करने वाले व्यक्ति का नाम	भुगतान की तारीख	भू-राजस्व	उपकर अबवाब	योग	रकम जमा करने वाले का नाम	जमा करने की तारीख	चालान क्रमांक	भू-राजस्व	उपकर	योग	भू-राजस्व	उपकर	योग	जारी की गई बलात आदेशिका के ब्यौरे
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
28	(1)नाम - परिक्षेत्र अधिकारी साल्हेवारा वन विभाग छतीसगढ शासन पिता वर्ग- सामान्य (जाति) स्वामित्व -भूमिस्वामी - कृषि भूमि	54/3	5.6680		0.00																	ऋण पुस्तिका:. नामांतरण क्रमांक 420206.025/110920/07023 आदेश क्रमांक 202006093000013 A-6,2019-20 / 9/8/2020
कुल		1	5.6680		0.00	0	0.00															

Signature Not Verified
Digitally signed by VIJAY LAL CHOUREY
Date: 2021.05.30 12:13:22 IST
Reason: Certified to be TRUE COPY of the digitally published ROR

टीप:– बैंक से लिये गये टर्म ऋण का विवरण 'फॉर्म पी-II खसरा खण्ड-1' में तथा फसल ऋण का विवरण 'फॉर्म पी-II खसरा खण्ड-2' में अंकित है |

फॉर्म पी-II खसरा पांचसाला खण्ड-1 (भूमिस्वामी का विवरण)

कृषि वर्ष: 2020-21

ग्राम : ग्वालगुण्डी   हल्का : 00007   रा नि : गंडई   तहसील : छुईखदान   जिला : राजनांदगांव   20210530420200016

भूमि का ब्यौरा हेक्टेयर में एवं करो का ब्यौरा रूपये पैसो में है ।

क्रमांक	क्षेत्रफल (और यदि भूमि खाते में सम्मिलित न हो तो उसका वर्णन)	कब्जेदार का विवरण				प्रयोजन जिसके, लिए भू-राजस्व निर्धारण किया गया है तथा नियत भूराजस्व	अधिकार जिसके अंतर्गत भूमि धारण की गई हो	किसी भूमि स्वामी या पट्टेदार या किसी मौरुषी काश्तकार के उपपट्टेदार का नाम, पिता का नाम,लगान या पट्टे की रकम और उप-पट्टे पर दिया गया भाग का क्षेत्रफल	कैफियत
		नाम	पिता या पति का नाम	जाति	निवास स्थान				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
54/3	5.6680	परिक्षेत्र अधिकारी साल्हेवारा वन विभाग छतीसगढ शासन	पिता			कृषि ₹ 0.00	निजी भूमिस्वामी		ऋण पुस्तिका:.

टीप:-- फसल विवरण तथा फसल ऋण की जानकारी 'फॉर्म पी-II खसरा खण्ड-2' से प्राप्त होगा ।

Signature Not Verified
Digitally signed by VIJAY LAL CHOUREY
Date: 2021.05.30 12:14:34 IST
Reason: Certified to be TRUE COPY of the digitally published ROR

T-14
06/08/2020

INDIA NON JUDICIAL

Government of Chhattisgarh

e-Stamp

सत्यमेव जयते

Certificate No.	:	IN-CG16598423830860S
Certificate Issued Date	:	06-Aug-2020 02:29 PM
Account Reference	:	IMPACC (SV)/ cg6014004/ BODLA/ CG-KW
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-CGCG60140042310259413346S
Purchased by	:	GOVT OF CG FOREST RANGER RENGAKHAR
Description of Document	:	Article 23(1) Conveyance (Sale)
Property Description	:	VILL GIDHANKHAR PHN 53 TEH BODLA DIST KABIRDHAM
Consideration Price (Rs.)	:	0 (Zero)
First Party	:	SHALIVAHANA GREEN ENERGY LTD
Second Party	:	GOVT OF CG FOREST RANGER RENGAKHAR
Stamp Duty Paid By	:	GOVT OF CG FOREST RANGER RENGAKHAR
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	100 (One Hundred only)

उप पंजीयक की मुद्रा, छत्तीसगढ़ शासन, बोड़ला, जिला-कबीरधाम

SAROJ KIRAN BAJPEYI ★ E STAMP VENDOR ★ BODLA (C.G.) CG6014004 6/8/20

Please write or type below this line

LB 0008480675

Statutory Alert: ...e Stamp Certificate should be verified at www.shcilestamp.com. Any discrepancy in the details on this Certificate and as

06/08/...

उपपंजीयन कार्यालय बोड़ला के अंतर्गत
हस्तांतरण विलेख

जायदाद स्थित ग्राम गिधनखार प0ह0नं0 53 रा0नि0मं0 रेंगाखार ... बोड़ला तह. बोड़ला, जिला कबीरधाम छ0ग0

बिना किसी प्रतिफल के छ.ग. शासन वन विभाग के पक्ष में

बाजार मूल्य :- 4,70,000 = 00

हस्तातंरण :- मेसर्स शालिवाहना ग्रीन एनर्जी लिमिटेट 7वीं मंजील, मिनरवा काम्पेलेक्स, 94 एस.डी. रोड, सिकंदराबाद, आध्रप्रदेश पिन नं. 500–003, पेन नं. AALCS2217B के द्वारा अधिकृत महाप्रबंधक रोहित श्रीवास्तव उम्र 34 वर्ष आ. श्री राजकिशोर श्रीवास्तव जाति कायस्थ निवासी अमलेश्वर शंकरा, प्राटन फ्लै ट नं. 305, ग्रीन अर्थ सिटी, महादेव घाट रोड़, तह. व जिला दुर्ग छ0ग0

पी. 151497 आ0क्र0 4282 6462 6000, मो.नं. 99937–52975

हस्तांतरण गृहिता :- परिक्षेत्र अधिकारी, रेंगाखार वन विभाग छत्तीसगढ़ शासन की ओर से अधिकृत श्री संतोष कुमार ठाकुर, उम्र 46 वर्ष आ. श्री जगदीश ठाकुर निवासी बालोद छ0ग0

आ0क्र0 4127 5140 0932 मो.नं. 7471180875

तहसीलदार
बोड़ला, जिला-कबीरधाम

विवरण हस्तांतरितसुदा जायदाद :- जायदांद स्थिति ग्राम गिधनखार प0ह0नं0 53 रा0नि0मं0 रेंगाखार कला, जनपद एवं तहसील बोड़ला जिला कबीरधाम

हक भूमि स्वामी	खसरा नं.	रकबा	लगानी
एक सौ पैंतालीस बटा एक	145/01	1.811हे.	1–25 रू0

रकबा एक हेक्टेयर दशमलव आठ एक एक

हस्तांतरितसुदा जायदाद के उत्तर में वन विभाग की भूमि, दक्षिण में वन विभाग की भूमि, पूर्व में वन विभाग की भूमि एवं पशिचम में वन विभाग की भूमि स्थित है।

हस्तांतरितसुदा जायदाद कृषि भूमि है, हस्तांतरित जायदाद भू–दान की नहीं है, सिलिंग नियम का उल्लघन नहीं होता है।, हस्तांतरितसुदा जायदाद पर कोई शासकीय भूमि शामिल नहीं है। और ना ही शासकीय पट्टे पर प्राप्त हुई है, छ.ग. भू–राजस्व संहिता की किसी भी धाराओं का उल्लंघन नहीं होता है।

कैफियत :- मेसर्स मालका रिन्युएवल एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड (की ग्रुप कंपनी मेसर्स शालिवाहना ग्रीन एनर्जी लिमिटेड) द्वारा धरमजयगढ़ वन मंडल अंतर्गत माण्ड नदी पर 08 मेगावाट लघु जल विद्युत परियोजना लगाये जाने के संबंध में 6–690हे. वनभूमि की मांग के संबंध में वनसंरक्षण अधिनियम 1980 के तहत आवश्यक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था जिस पर पंजीयन क्रमांक FP/CG/HYD/25660/2017 आबंटित किया गया है।

...alivahana Green Energy ...
Authorised Signatory

परिक्षेत्र अधिकारी
परिक्षेत्र -रेंगाखार (सा.)

धरमजयगढ़ वनमंडल की प्रभावित हो रही 6–690हे. वनभूमि के विरूद्ध हस्तांतरणकर्ता संस्थान द्वारा क्षतीपूर्ती वनीकरण कार्य के लिये 1–811हे. गैर वनभूमि (निजी भूमि) आपके परिक्षेत्र के अंतर्गत उपलब्ध कराई जाकर उपर वर्णित भूमि हस्तांतरित कि जा रही है।

अब यह हस्तांतरण विलेख, हस्तांतरण गृहिता वन विभाग छत्तीसगढ़ शासन के पक्ष में लिखकर कंपनी घोषणा करती हैं कि हस्तांतरण गृहिता वन विभाग हस्तांतरित जायदाद की पूर्ण मालिक व स्वामी हो गयी वो जिस तरह चाहे अपना अमल दखल करें, उपयोग करें, उपभोग करें व जिस तरह चाहें अपना मुनाफा कमायें सरकारी व अर्धसरकारी कागजात में अपना नाम दर्ज करायें।

अब हस्तांतरितसुदा जायदाद पर हस्तांतरणकर्ता कंपनी का कोई हक व अधिकार शेष नही रहा न कभी भी होगा यदि कंपनी हस्तांतरणकर्ता या कंपनी के अन्य डायरेक्टर या अन्य कोई भी कुछ भी करेगें तो वह सब इस हस्तांतरण विलेख के समक्ष नाजायज व झूठे माने जायेगें।

लिहाजा यह हस्तांतरण विलेख हस्तांतरण गृहिता के पक्ष में लिखकर अपने हस्ताक्षर के द्वारा प्रमाणित कर दिया की प्रमाण रहें समय वक्त जरूरत पर काम आवें। दिनांक 06/08/2020

नोट :– 1. हस्तांतरण विलेख के साथ बी–1 नक्शा खसरा संलग्न है, जो इस दस्तावेज का एक अभिन्न अंग है।

2. कार्यालय वनमंडलाधिकारी वन मंडल कवर्धा जिला कवर्धा छ0ग0 के पत्र क्र/तक.अधि./7392 कवर्धा, दिनांक 03/07/2020 एवं कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक छ0ग0 के पत्र क्र/भू–प्रबंध//विद्युत/479–160/2861 नया रायपुर दिनांक 22/11/2019 एवं भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रलाय के पत्र क्र/FC-11/CH-115/2019-NGP/5895 दिनांक 15.11.2019 के आदेशों के प्रति इस हस्तांतरण विलेख के साथ संलग्न है। जो इस हस्तांतरण विलेख का एक अंग है।

3. उपरोक्त हस्तांतरण विलेख चूकिं छत्तीसगढ़ शासन के पक्ष में किया जा रहा है, जिसके संबंध में शासन द्वारा आदेश पत्र में हस्तांतरित भूमि के प्रतिफल का उल्लेख नही होने के कारण उपरोक्त हस्तांतरण विलेख बिना किसी प्रतिफल के शासन के पक्ष में किया जा रहा है।

Shalivahana Green Energy Ltd.

Authorised Signatory

पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग
छत्तीसगढ़
जाँच परचा सह घोषणा प्रपत्र

जिला:	कबीरधाम	उप पंजीयक कार्यालय:	बोड़ला_SR
टोकन नं.-	14	टोकन दिनांक/समय :	2020-08-06/04:35:30

प्रस्तुतकर्ता	रोहित श्रीवास्तव		
प्रस्तुतकर्ता का पता	रायपुर		
निष्पादक की हैसियत	किसी सरकारी अधिकारी द्वारा		सरकारी
विलेख प्रारूप	हस्तांतरण पत्र (विक्रय विलेख)	विलेख का प्रकार	
विलेख का अंकित मूल्य	470000	संलग्न मुद्रांक	100
कुल पृष्ठों की संख्या	30		
ई-पंजीयन आई.डी.नं.	CG5527106082020014		
ई-स्टाम्प नं.	IN-CG16598423830860S		
विशेष विलेख प्रकार			

सम्पत्ति का विवरण :

जनपद-रैंगाखारकला/तहसील : बोड़ला/रा.नी.मंडल -रैंगाखारकला

वार्ड/हल्का	मोहल्ला का नाम	वार्ड का नाम/ गाँव का नाम	खाता नं.	प्लॉट नं.	खसरा/ शीट नं.	चौहद्दी	भूमि की स्थिति	शामिल खसरा	क्रय किया गया रकबा	खसरे का कुल रकबा
53	गिधनखार	गिधनखार	-	-	145/1	उत्तर -वन विभाग कवर्धा,दक्षिण -जंगलपूरब -वन विभाग,पश्चिम -वन विभाग	असिंचित	-	1.811 हेक्टर	1.811 हेक्टर

भूमि विन्यास - एक फसली

भूमि की उपयोगिता- अन्य

पक्ष का विवरण

पक्षकार का प्रकार	पक्षकार का नाम	पिता/पति/माता/अभिभावक का नाम	पेशा	लिंग	जाति/उप जाति	पैन/60	पहचान संबंधी दस्तावेज की विवरणी		पता
विक्रेता	रोहित श्रीवास्तव मेसर्स अभिव्यक्ता ग्रीन एनर्जी लिमिटेड सिकंदराबाद	पिता-राजकिशोर	नौकरी	पुरुष	सामान्य/सामान्य		आधार कार्ड	428264626000	रायपुर
क्रेता	परियोजना अधिकारी वन विभाग छ.ग. शासन संतोष ठाकुर	पिता-जगदीश	नौकरी	पुरुष	अ0ज0जा0/		आधार कार्ड	412751400932	कवर्धा जिला कबीरधाम छ.ग.
गवाह-1	मणिकान्त शर्मा	पिता-कृष्ण	नौकरी	पुरुष	सामान्य/स		आधार कार्ड	7969150	बारा

CG5527106082020014

हस्तांतरण विलेख

जायदाद स्थित ग्राम ग्वालगुण्डी, प0ह0नं0 04 / 07 रा0नि0मं0 गंडई तह. छुईखदान, जिला राजनांदगांव छ0ग0

बिना किसी प्रतिफल के

स्टाम्प शुल्क माफ

हस्तांतरणकर्ता :— मेसर्स मालका पावर प्रायवेट लिमिटेड 7वीं मंजिल, मिनरवा काम्पलेक्स, 94, एस.डी. रोड, सिकंदराबाद, आंध्रप्रदेश पिन नं. 500—003, पेन नं. **AAICM 0690 F** के द्वारा अधिकृत महाप्रबंधक रोहित श्रीवास्तव उम्र 34 वर्ष आ. श्री राजकिशोर श्रीवास्तव जाति कायस्थ निवासी अमलेश्वर शंकरा, पाटन फ्लैट नं. 305, ग्रीन अर्थ सिटी, महादेव घाट रोड, तह. व जिला दुर्ग छ0ग0

पु0क0 पी—1613419, आ0क0 4282 6462 6000, मो.नं. 99937—52975

हस्तांतरण गृहिता :— परिक्षेत्र अधिकारी, साल्हेवारा वन विभाग छत्तीसगढ शासन की ओर से अधिकृत श्री दसरू प्रसाद रात्रे उम्र 61 वर्ष आ. श्री श्यामलाल जी रात्रे निवासी राजनांदगांव छ0ग0

आ0क0 6124 6345 9343, मो.नं. 75870—13201

विवरण हस्तांतरितसुदा जायदाद :— जायदाद स्थित ग्राम ग्वालगुण्डी प0ह0नं0 04 / 07 रा0नि0मं0 गंडई ब्लाक, जनपद एवं तहसील छुईखदान जिला राजनांदगांव

हक भुमि स्वामी	खसरा नं	रकबा	लगानी
चौवन बटा तीन	54 / 3	5—6680हे.	7—18 रू0

रकबा पांच हेक्टेयर दशमलव छः छः आठ शुन्य आरे0

हस्तांतरितसुदा जायदाद के उत्तर में धनबाड़ा पावन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर की भूमि, दक्षिण में शासकीय भूमि, पूर्व में शासकीय भूमि एवं पश्चिम में जंगल शासकीय वनक्षेत्र की भूमि स्थित है.

हस्तांतरितसुदा जायदाद कृषि भूमि है, हस्तांतरित जायदाद भू—दान की नहीं है, सिलिंग नियम का उल्लंघन नहीं होता है, हस्तांतरितसुदा जायदाद पर कोई शासकीय भूमि शामिल नहीं है और ना ही शासकीय पट्टे पर प्राप्त हुई है. छ.ग. भू—राजस्व संहिता की किसी भी धाराओं का उल्लंघन नहीं होता है.

कैफियत :— मेसर्स मालका रिन्युएवल एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा धरमजयगढ़ वन मंडल अंतर्गत माण्ड नदी पर 08 मेगावाट लघु जल विद्युत परियोजना लगाये जाने के संबंध में 6—690हे. वनभूमि की मांग के संबंध में वनसंरक्षण अधिनियम 1980 के तहत आवश्यक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था जिस पर पंजीयन कमांक **FP/CG/HYD/25660/2017** आबंटित किया गया है.

Malka Power Private Ltd.
Auth. Signatory

साल्हेवारा (सामान्य)

गैर वनभूमि (निजी भूमि) आपके परिक्षेत्र के अंतर्गत उपलब्ध कराई जाकर उपर वर्णित भूमि हस्तांतरित की जा रही है

अब यह हस्तांतरण विलेख, हस्तांतरण गृहिता वन विभाग छत्तीसगढ़ शासन के पक्ष में लिखकर कंपनी घोषणा करती है कि हस्तांतरण गृहिता वन विभाग हस्तांतरित जायदाद की पूर्ण मालिक व स्वामी हो गयी वो जिस तरह चाहें अपना अमल दखल करें, उपयोग करें उपभोग करें व जिस तरह चाहें अपना मुनाफा कमावें सरकारी व अर्धसरकारी कागजात में अपना नाम दर्ज करावें.

अब हस्तांतरितसुदा जायदाद पर हस्तांतरणकर्ता कंपनी का कोई हक व अधिकार शेष नही रहा न कभी भी होगा यदि कंपनी हस्तांतरणकर्ता या कंपनी के अन्य डायरेक्टर या अन्य कोई भी कुछ करेगें तो वह सब इस हस्तांतरण विलेख के समक्ष नाजायज व झुठे माने जावेगें.

लिहाजा यह हस्तांतरण विलेख हस्तांतरण गृहिता के पक्ष में लिखकर अपने हस्ताक्षर के द्वारा प्रमाणित कर दिया कि प्रमाण रहें समय वक्त जरूरत पर काम आवें. दिनांक :– 04/06/2020

नोट :– 1. हस्तांतरण विलेख के साथ बी–1 नक्शा खसरा संलग्न है जो इस दस्तावेज का एक अभिन्न अंग है.

2. कार्यालय वनमंडलाधिकारी वनमंडल खैरागढ़ जिला राजनांदगांव छ0ग0 के पत्र कमांक/मा.चि./क्ष.पू.वनी./न.क.22–13/2212 खैरागढ़ दिनांक 27.05.2020 एवं भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र कमांक **FC-11/CH-115/2019-NGP/5895** दिनांक 15.11.2019 एवं कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक छत्तीसगढ़ के पत्र कमांक/भू–प्रबंध/विद्युत/479–160/2861 नया रायपुर दिनांक 22.11.2019 के आदेशों की प्रति इस हस्तांतरण विलेख के साथ संलग्न है जो इस हस्तांतरण विलेख का एक अंग है.

3. उपरोक्त हस्तांतरण विलेख चूंकि छत्तीसगढ़ शासन के पक्ष में किया जा रहा है जिसके संबंध में शासन द्वारा आदेश पत्र में हस्तांतरित भूमि के प्रतिफल का उल्लेख नहीं होने के कारण उपरोक्त हस्तांतरण विलेख बिना किसी प्रतिफल के शासन के पक्ष में किया जा रहा है.

Maika Power Private Ltd.
Auth. Signatory

[illegible] अधिकारी
[illegible] (सामान्य)

पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग
छत्तीसगढ़
जाँच परचा सह घोषणा प्रपत्र

उप पंजीयक कार्यालय: गंडई_SR

जिला: राजनांदगांव

टोकन दिनांक/समय : 2020-06-04/03:56:52

टोकन नं.- 7

प्रस्तुतकर्ता: मेसर्स मालका पावर प्रायवेट लिमिटेड द्वारा महाप्रबन्धक रोहित श्रीवास्तव

प्रस्तुतकर्ता का पता: ग्रीन अर्थ सिटी तह व जिला दुर्ग

निष्पादक की हैसियत: स्वत: (साक्षियों द्वारा शिनाख्त)

विलेख प्रारूप: हस्तांतरण पत्र (विक्रय विलेख) विलेख का प्रकार: सरकारी

कुल पृष्ठो की संख्या: 27

ई-पंजीयन आई.डी.नं.: CG6427304062020007

विशेष विलेख प्रकार

सम्पति का विवरण :

जनपद-छुईखदान/तहसील : छुईखदान/रा.नी.मंडल -गंडई

वार्ड/हल्का	मोहल्ला का नाम	वार्ड का नाम/ गाँव का नाम	खाता न.	प्लॉट नं.	खसरा/ शीट नं.	चौहद्दी	भूमि की स्थिति	शामिल खसरा	सौदा किया गया रकबा	खसरे का कुल रकबा
7	ग्वालगुण्डी	घोघर	-	-	54/3	उत्तर -धनवाड़ा पावन एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर की भूमि,दक्षिण -शास. भूमिपूरब -शास. भूमि,पश्चिम -जंगल शास.भूमि	असिंचित	-	5.6680 हेक्टर	5.6680 हेक्टर

भूमि की उपयोगिता- अन्य

भूमि विन्यास - कृषि भूमि

ऋण पुस्तिका क्रमांक - P-16/3419

पक्ष का विवरण

पक्षकार का प्रकार	पक्षकार का नाम	पिता/पति/माता/अभिभावक का नाम	पेशा	लिंग	जाति/उपजाति	पैन/60	पहचान संलग्न कागजात की विवरणी		पता
विक्रेता	मेसर्स मालका प्रा. लि.द्वारा महाप्रबंधक श्री रोहित श्रीवास्तव	पिता-राजकिशोर श्रीवास्तव	व्यवसाय	पुरूष	सामान्य/		आधार कार्ड	428264626000	निवासी अमलेश्वर संकरा पाटन फ्लेट नं.305 ग्रीन अर्सिटी महादेव घाट रोड तह.जिला दुर्ग व
क्रेता	परिक्षेत्र अधिकारी साल्हेवारा वन विभाग छ.ग . शासन की ओर से अधिकृत श्री	पिता-श्यामलाल रात्रे	नौकरी	पुरूष	अ0जा0/		आधार कार्ड	612463459343	निवासी राजनांदगांवजिला राजनांदगांव

CG6427304062020007

Annexure-3

MALKA RENEWABLE ENERGY PRIVATE LIMITED

Corp.Office :7th Floor, Minerva Complex, SD Road, SECUNDERABAD – 500 003,
Phone :09866030920, 09301325333
E-mail : naveenmalka@gmail.com, powermalka@gmail.com

UNDERTAKING

We are given herewith our consent for the condition no. III (b) of the MoEF letter ref. no. FC-IICH-115/2019-NGP/5895 dtd.15.11.2019 "Additional amount of the NPV of the diverted forest land if any becoming due after finalization of the same by the Hon'ble supreme court of India on receipt of the report from the expert committee shall be charged by the state govt. from the user agency.

Hence condition accepted by us.

For, MALKA RENEWABLE ENERGY PVT LTD.

Rohit

ROHIT SHRIVASTAVA
GM-LIAISON

Annex (4)

MALKA RENEWABLE ENERGY PRIVATE LIMITED

Corp.Office :7th Floor, Minerva Complex, SD Road, SECUNDERABAD – 500 003,
Phone :09866030920, 09301325333
E-mail : naveenmalka@gmail.com, powermalka@gmail.com

UNDERTAKING

We are given herewith our consent for the condition no. IV of the MoEF letter ref. no. FC-IICH-115/2019-NGP/5895 dtd.15.11.2019 "The cost of failing of trees shall be deposited by the user agency with the state forest deptt.

Above condition accepted by us.

For, MALKA RENEWABLE ENERGY PVT LTD.

Rohit

ROHIT SHRIVASTAVA
GM-LIAISON

CREDA

CHHATTISGARH STATE RENEWABL EVELOPMENT AGENC

(I gy, Govt. of Chhattisgar

V.I.P. Road (Airport Road), New Energy ...cation Park, RAIPUR (C.G

Phone : 08370009915, 0771-2971483 Fax : 0771-29714

E-mail : info@creda.in • Website : www.creda.

Ref: 5436/CREDA/SMD/SHP/2018-19

Date: 01-06-2018

Annex-(5)

TO WHOM SOEVER IT MAY CONCERN

It is to certify that M/s. Malka Renewable Energy Pvt Ltd., is developing Small Hydro Project of 8.0 MW capacity on River Mand, near Village Dharamjaygarh, (Damas), Tehsil, Dharamjaygarh, Distt. Raigarh. The project is Run-off-River project in which water is diverted from a River without creating any storage in the River, so no area is under submergence and power is generated from flowing water and available Head. The project is dependent on intermittent rains depending on monsoon conditions.

(S.M. Deshpande) 1/6/18
Chief Engineer

कण्डिका क्रमांक – 22

कैचमेंट ट्रीटमेंट प्लान

यह परियोजना RUN OF RIVER पर आधारित है जिसमे कहीं भी जल का भराव नहीं होगा अतः कैचमेंट ट्रीटमेंट प्लान की आवश्यकता नहीं है ।

For, MALKA RENEWABLE ENERGY PVT LTD.

रोहित श्रीवास्तव
ROHIT SHRIVASTAVA
GM-LIAISON
महाप्रबंधक (कार्पो. अफेयर्स)
मलका रिन्यूवल एनर्जी प्रा. लि.,
सिकंदराबाद

वनमण्डलाधिकारी
धमरजयगढ़ वनमण्डल,
जिला – रायगढ़ छत्तीसगढ़

वन परिक्षेत्राधिकारी
धरमजयगढ़

उप वन मण्डलाधिकारी
धरमजयगढ़ उप वन मण्डल

Annexure (6)

कार्यालय कलेक्टर भू–अभिलेख रायगढ़ (छ.ग.)

प्रदर्श 'स'

प्रमाण पत्र

मेसर्स मलका रिन्यूएवल एनर्जी प्रा.लि. को 8 MW लघु जल विद्युत परियोजना हेतु जिला रायगढ़ में धरमजयगढ़ वनमण्डल अंतर्गत ग्राम व तहसील धरमजयगढ़ (दमास) के वन भूमि व्यपवर्तन हेतु **6.69** हे. वन भूमि के प्रकरण में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 का पालन प्रतिवेदन। अनुविभागीय अधिकारी (रा.) धरमजयगढ़ जिला रायगढ़ के **प्रमाण पत्र के आधार पर** प्रमाणित किया जाता है कि :–

1– अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत् वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 में नियत सम्पूर्ण प्रकिया का पालन कर अधिकारों को स्थापित किया गया है तथा सम्पूर्ण प्रस्तावित क्षेत्र की वन भूमि **2.00** हे. एवं राजस्व वन भूमि **4.69** हे. कुल रकबा **6.69** हे. जो इस कार्य हेतु व्यपवर्तित की जानी है तथा ग्राम व तहसील धरमजयगढ़ में स्थित हैं, में तद्नुसार यह कार्यवाही पूर्ण की गयी है।

नगर पंचायत धरमजयगढ़ के सामान्य सभा की बैठक एवं उसमें पारित प्रस्ताव दिनांक 19.12.2017 (**प्रदर्श 'अ'**) एवं वन तथा राजस्व विभाग का संयुक्त जांच प्रतिवेदन (**प्रदर्श 'ब'**) पर दर्शित है।

2– उक्त प्रकरण का प्रस्ताव नगर पंचायत धरमजयगढ़ के अध्यक्ष श्री महेश कुमार चैनानी की अध्यक्षता में हुई नगर पंचायत सामान्य सभा की बैठक दिनांक 19.12.2017 में रखा गया था एवं इसमें 50 प्रतिशत नगर पंचायत के तथा खण्ड स्तरीय वन समिति के सदस्य उपस्थित थे, जिनको परियोजना के क्रियान्वयन एवं प्रकरण के पूर्ण विवरण तथा प्रभाव से अवगत कराकर विस्तार से समझाईस हिन्दी एवं स्थानीय भाषा में दी गई ।

प्रस्तावित वन क्षेत्र में प्रदत्त वन अधिकार मान्यता पत्र धारकों की संख्या ग्रामवार निम्नानुसार हैं :–

कमांक	ग्राम का नाम	वन अधिकार मान्यता पत्र धारक का नाम	रकबा (हे.में.)
1	2	3	4
1	निरंक	निरंक	निरंक

3 – जो भी चर्चा एवं निर्णय लिये गए उसमें नगर पंचायत सामान्य सभा के न्यूनतम 50 प्रतिशत सदस्यों की उपस्थिति का कोरम पूर्ण था ।

4– संयुक्त सत्यापन प्रतिवेदम एवं नगर पंचायत सामान्य सभा के ठहराव प्रस्ताव दिनांक 19.12.2017 अनुसार ऐसे विलुप्तप्राय जनजाति समूह (पी.टी.जी.) के सदस्य व्यपवर्तन हेतु प्रश्नाधीन भूमि पर निवासरत नहीं है, जिनका वन अधिकार **"अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006"** की धारा 3 (1) (e) अंतर्गत विशेष रूप से संरक्षित रखना है।

5– संयुक्त सत्यापन प्रतिवेदन एवं नगर पंचायत सामान्य सभा के दिनांक 19.12.2017 के संकल्पों के आधार पर यह प्रमाणित किया जाता है कि व्यपवर्तन के लिए प्रस्तावित वन भूमि पर अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा 3 (2) अंतर्गत शासन द्वारा संचालित कोई सुविधा विद्यमान नहीं है।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार ।

(श्रीमती शम्मी आबिदी)
कलेक्टर
एवं
अध्यक्ष– जिला वन अधिकार समिति
जिला–रायगढ़ (छ.ग.)

Annexure-II

FORM-II

(for Project other than linear projects)

Government of Chhattisgarh

Officer of the District Collector Raigarh

*****

No ....110........ Dated ..22-01-2018

TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No.11-9/98-FC (pt) dated 3rd August 2009 where in the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA' for short) on the forest land proposed to be diverted in for non-forest purposes, it is certified that 2.00 Hectares forest land & 4.69 Revenue forest land Total **6.69** Hectares of forest land proposed to be diverted in favour of **Malka Renewable Energy Pvt for 8 MW small Hydroelectricity Project** in **Raigarh** district falls within jurisdiction of **Dharamjaigarh (Damas)** village in **Dharamjaigarh** tehsils.

It is further certified that:

(a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 6.69 hectares of forest land proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meeting of the Forest Rights Committee (s), Nagar Panchayat (s), Sub-Division Level Committee (s) and the District Level Committee are enclosed .

(b) The proposal for such diversion (with full details of the project and its implications, in vernacular/ local language) have been placed before each concerned Nagar Panchayat of forest- dwellers, who are eligible under the FRA,

(c) The each of concerned Nagar Panchayat (s), has certified that all formalities/processes under the FRA have been carried out, and they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any, having understood the purpose and details of proposed diversion. A copy of certificate issued by the Nagar Panchayat of **Dharamjaigarh (Damas)** village is enclosed.

(d) The discussion and decision on such proposals had taken place only when there was a quorum of minimum 50% of the members of Nagar Panchayat present;

(e) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and Nagar Panchayat have given their consent to it;

(f) The rights of Primitive Tribal Groups and Pre-Agricultural Communities, Where applicable have been specifically safeguarded as per section 3(1) (e) of the FRA.

Encl; As above

(Shammi Abidi)
District Collector
Raigarh (C.G.)

BAGHEL